राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक: प. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांक 13 जून, 2013

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जिलों के भ्रमण के दौरान नागरिकगण उनसे मिलकर व्यक्तिशः आवेदन पत्र एवं ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। संवेदनशील प्रशासन की यह मंशा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमणों के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों/ज्ञापनों पर त्वरित कार्यवाही की जाकर आवेदकों को यथा संभव राहत प्रदान की जावे।

राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमण के समय प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एक निर्धारित प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए तथा आवेदकों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

(1) माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमण के तुरन्त पश्चात प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की विभागवार छंटनी की जाकर ई–सुगम में दर्ज किया जावे। ऐसे प्रकरण जिनको तुरन्त निपटाया जा सकता है उनको चिन्हित कर अधिकतम 3 दिवस के अन्दर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

(2) साथ ही शेष प्रकरणों के आवेदकों को जिला कलक्टर के स्तर पर व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने हेतु विधिवत सूचना भेजकर सुनवाई हेतु निर्दिष्ट समय, दिनांक एवं स्थान की सूचना प्रेषित की जावे।

(3) सुनवाई के दौरान यह भी सुनिश्चित करना है कि संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद हों। सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण संवेदनशीलता एवं सकारात्मक सोच के साथ सम्पन्न की जावे। यदि आवेदित राहत संभव नहीं है एवं अन्य कोई विकल्प दिया जा सकता है, तो उस स्थिति में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(4) यह ध्यान रहे कि व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त निस्तारण के साथ आवेदक को लिखित में समुचित निर्णय से अवगत कराया जावे।

(5) अब तक जिला कलक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ से संबंधित जो प्रकरण लम्बित हैं, उनको भी उपरोक्त प्रकिया अपनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही एवं आवेदन पत्रों/ज्ञापनों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग को संलग्न प्रपत्र में प्रेषित की जावे।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपकम/निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज

प्रपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों / ज्ञापनों पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट / सूचना।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण दिनांक: .... जिला : ....

भ्रमण स्थान (कैम्प)	दिनांक	प्राप्त कुल आवेदन पत्र	प्राप्त कुल आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई का विवरण						
			क्रं. सं.	आवेदक का नाम एवं पता / ग्राम पंचायत	संबंधित विभाग का नाम जिसको प्रकरण अग्रेषित किया गया	पत्र का क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा प्रकरण अग्रेषित किया गया	व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि एवं स्थान	निर्णय / विनिश्चय से आवेदक को सूचित करने का दिनांक एवं प्रेषित पत्र संदर्भ / क्रमांक	निस्तारित / लंबित (यदि लंबित है तो कारण)

13/6/13
निदेशक

जिला कलक्टर